आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
14.02.2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 42/2021** **ईश्वर मुण्डा व अन्य** **बनाम्** **गणेश मुण्डा व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा एस0ए0आर0 अपील 50 आर0 15/2019–2020 में पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–गोबाईडीह के खाता नं0–38 में अवस्थित, प्लॉट नं0–276 एवं 384 के कुल 7.47 एकड़ भूमि का विषय सन्निहित है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के द्वारा विविध राजस्व वाद 2/2013–14 में भूमि वापसी के आवेदन को धारा 242 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत् खारिज किया गया था। उक्त आदेश को उपायुक्त न्यायालय में चुनौती दी गयी जहाँ अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल एवं राष्ट्रीय उच्च पथ हेतु अधिग्रहित भूमि का छोड़कर शेष भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। अपीलार्थियों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि गैरमजरूआ खास जंगल–झाली के रूप में खतियान में दर्ज है। विपक्षीयों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि को मुण्डारी खुंटकट्टी भूमि घोषित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष धारा 242 के तहत् आवेदन दायर किया गया था। जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अवमान्य कर दिया गया। आवेदकों के द्वारा वर्ष 1954 में प्रश्नगत् भूमि की बंदोबस्ती धारा–72 (4) के तहत् प्राप्त की गई थी। अतः प्रश्नगत् भूमि पर आवेदकों का उसी समय से दखल है। उक्त भूमि में से प्लॉट नं0–276 के 0.60 एकड़ भूमि अनुमण्डल अस्पताल निर्माण हेतु दान स्वरूप दी गयी थी उक्त दान पत्र पर कुछ विपक्षीयों के हस्ताक्षर भी है। अनुण्डलीय अस्पताल एवं	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	दिया जाना उचित नहीं माना जा सकता। अनुमण्डल न्यायालय द्वारा 20.11.2018 को आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील 24.01.2020 को उपायुक्त के समक्ष दायर हुई। इस विलम्ब के लिए कानून की जानकारी नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं अपील आवेदन पर मात्र 3 व्यक्ति सोमा मुण्डा, महावीर सिंह मुण्डा तथा गणेश मुण्डा के हस्ताक्षर है जबकि अपीलार्थी के रूप में कुल 22 व्यक्तियों का नाम दर्ज है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इस विलम्ब को क्षांत किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायालय के अभिलेख में भी विलम्ब के बिन्दू पर कोई उल्लेख नहीं है। मात्र खेवट के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नगत् भूमि का खतियान गैर मजरूआ खास के रूप में अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा चुका है। स्पष्टतः खतियान के इन्द्राज को अमान्य नहीं किया जा सकता है। विगत सर्वे में भी आवेदकों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है तथा अंचल कार्यालय के प्रतिवेदन से भी आवेदकों का दखल सम्पुष्ट होता है। वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् भूमि पर धारा–242 के तहत् मुण्डारी खुंटकट्टी भूमि होने के आधार पर भूमि वापसी का दावा मान्य किया जाना उचित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करते हुए अपीलीय न्यायालय के आदेश को खारीज किया जाता है। जहाँ तक भूमि के स्वत्व का प्रश्न है उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित Wkulkarni 14/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.07.22 16:57:43 +05:30 Location: 192.168.1.40 Wkulkarni 14/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	